न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 46 / 2021

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
बगदाराम पुत्र अचलाराम जाति भील निवासी सिलासन तहसील रानीवाड़ा जिला सांचौर		1. सणगीदेवी पत्नि उका जाति भील निवासी चिरपटीया 2. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा 3. बैंक ऑफ इंडिया शाखा रानीवाडा जरिये प्रबंधक

दावा बाबत बंटवाडा एवं जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादी के अधिवक्ता श्री अमृत कटारिया।
2. प्रतिवादी संख्या 02 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

: –: **निर्णय** :–

दिनांक 14.02.2024

1. वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 53, 188 बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा सिलासन तहसील रानीवाड़ा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की सामलाती व संयुक्त खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 2190 रकबा 2.28 हेक्टेयर , खसरा नंबर 2191 रकबा 2.11 हेक्टेयर जुमले रकबा 4.39 हेक्टेयर की आई हुई हैं। जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में बगदाराम पुत्र अचलाराम हिस्सा 1/2 जाति भील सा. देह खातेदार, सणगीदेवी पत्नि उका हिस्सा 1/2 जाति भील सा. चिरपटीया खातेदार दर्ज हैं। उक्त आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा खातेदारी का हैं। उक्त आराजी का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच मौके पर बंटवाड़ा हो गया परन्तु विविधत रेकर्डेड बंटवाड़ा नहीं हुआ हैं। वादी का खसरा नंबर 2190 पर कब्जा काश्त हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 का खसरा नंबर 2191 पर तथा खसरा नंबर 2190 में अपने हिस्से माफिक रकबा 0.085 हेक्टेयर भूमि पर खसरा नंबर 2191 के लगतो लगत कब्जा काश्त हैं।

   उक्त विवादित आराजी का विधिवत बंटवाड़ा नहीं होने से उक्त आराजी को विकसित करने में कठिनाईयां आ रही हैं तथा काश्त करने में भी कठिनाईयां आ रही हैं। वादी ने कई बार प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त आराजी का आपसी सहमति से बंटवाड़ा करवाने का कहा परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने टालमटोल की। उसके बाद वादी ने दिनांक 10.08.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 को वादग्रस्त आराजी का आपसी सहमति से विधिवत बंटवाड़ा करवाने का कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने आपसी सहमति से बंटवाड़ा करवाने मे आना कानी की तथा वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त आराजी से लाठी के बल पर बैदखल करने की ऐलानिया धमकी दी। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा सामलाती खाते[illegible] उक्त आराजी का मौके पर कब्जे काश्त अनुसार व बाई मिट्स एण्ड बाउ[illegible] आधार पर बंटवाड़ा करवा कर उक्त आराजी खसरा नंबर 2190 [illegible]95 हेक्टेयर आराजी अलग बंटवाड़ा में प्राप्त करने के अधिकारी होने से तथा प्रतिवादी संख्या [illegible] अवैध व गैर कानूनी कृत्यों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रूकवाने के वादी अधिकारी [illegible] से वादी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:29 IST
Reason: SelfAttested

ओर प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह दावा बाबत बंटवाड़ा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश हैं।

अतः सरहद मौजा सिलासन तहसील रानीवाड़ा के खेत नवीन खसरा नंबर 2190 रकबा 2.28 हेक्टेयर, खसरा नंबर 2191 रकबा 2.11 हेक्टेयर जुमले रकबा 4.39 हेक्टेयर का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर बंटवाड़ा कर उक्त आराजी में से वादी को 1/2 हिस्सा खसरा नंबर 2190 रकबा 2.28 हेक्टेयर में 2.195 हेक्टेयर हिस्सा अलग बंट में दी जावे व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/2 हिस्सा आराजी खसरा नंबर 2191 रकबा 2.11 हेक्टेयर सम्पूर्ण रकबा व खसरा नंबर 2191 के लगतो लगत अलग बंट में दिया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद जावे कि वे बाद बंटवाड़ा वादग्रस्त आराजी में वादी के बंट की आराजी में वादी के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में न तो स्वयं कोई दखल करे तथा न ही किसी अन्य से कोई दखल करावे।

2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 1, 3 की ओर से बाद तामील सम्मन अनुपस्थित होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 2 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा उपस्थित। जिनके द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया।

3. दिनांक 09.06.2022 को न्यायालय द्वारा वादी अधिवक्ता के निवेदन पर खातेदारो के हक हिस्से अनुसार मौजा सिलासन के खसरा नम्बर 2190, 2191 रकबा 2.28, 2.11 हैक्टेयर जूमले रकबा 4.39 हेक्टेयर आराजी के मीट्स एण्ड बाउण्ड के जरिये बंटवाडा प्रस्ताव के प्राथमिक डिक्री के आदेश तहसीलदार रानीवाडा को किये गये। पत्रांक/कोर्ट/2022/617 दिनांक 17.06.2022 के द्वारा तहसीलदार रानीवाडा से प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/राजस्व/2023/299 दिनांक 27.03.2023 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किये हैं।

4. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव को उपस्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया । वादी के अधिवक्ता को सुना गया, जिनके द्वारा किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करते हुए सहमति प्रकट की एवं सहमति स्वरूप आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अतः तहसीलदार रानीवाड़ा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्न लिखित अनुसार जारी की जाती है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग	लगान राशि
1.	बगदाराम पुत्र अचलाराम कौम भील सा. देह खातेदार	2190	2.28	2.19	बा.दो.	काला	6.60
2.	सणगीदेवी पत्नि उक्त कौम भील सा. चिरपटीया खातेदार	2190	2.28	0.0850	बा.दो.	लाल	0.24
		2191	2.11	2.11	बा.दो.		6.33

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:29 IST
Reason: SelfAttested

5. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीयॉ नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी स्वयं न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(भागीरथराम)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला–सांचौर

निर्णय आज दिनांक 14.02.2024 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:29 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix “D”-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथराम, आर.ए.एस.

वादी		प्रतिवादीगण
बगदाराम पुत्र अचलाराम जाति भील निवासी सिलासन तहसील रानीवाड़ा जिला सांचौर	**बनाम**	1. सणगीदेवी पत्नि उका जाति भील निवासी चिरपटीया 2. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा 3. बैंक ऑफ इंडिया शाखा रानीवाडा जरिये प्रबंधक

अन्तर्गत धारा 53 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 46/2021

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्ताई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादी की ओर से वकील श्री अमृत कटारिया उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 2 राजपेरोकार उपस्थित, तथा प्रतिवादी सं0 1 व 3 अनुपस्थित रहने से एक पक्षकीय कार्यवाही की गई। मनजानिव मुद्रायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग	लगान राशि
1.	बगदाराम पुत्र अचलाराम कौम भील सा. देह खातेदार	2190	2.28	2.19	बा.दो.	काला	6.60
2.	सणगीदेवी पत्नि उका कौम भील सा. चिरपटीया खातेदार	2190	2.28	0.0850	बा.दो.	लाल	0.24
		2191	2.11	2.11	बा.दो.		6.33

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मीमोयॉ नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी स्वयं न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाति है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 14.02.2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:29 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथराम)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–सांचौर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	0	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	3	00	मौजाना	0	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2024.02.19 18:14:29 IST
Reason: SelfAttested